बिहार में पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा निदेशालय के गठन को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बिहार सरकार के पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सूबे में **पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा निदेशालय** (Directorate of Backward and Most Backward Classes) के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की है।

प्रमुख बिंदु

- निदेशालय के गठन में पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण की योजनाओं को **ज़मीनी स्तर तक पहुँचाने में आसानी** होगी तथा **योजनाओं की अच्छी तरह से निगरानी** भी की जा सकेगी।
- ध्यातव्य है कि **पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग के कल्याण पर विशेष ध्यान देने के लिये कल्याण विभाग से अलग कर राज्य सरकार की ओर से विशेष विभाग का गठन** किया गया था।
- विभाग ने निदेशालय के संचालन के लिये अधिकारियों और कर्मचारियों के 446 पदों को भी मंज़ूरी दी है, जिसमें 26 पद निदेशालय के स्तर के और 420 पद क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये हैं।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/directorate-of-backward-and-most-backward-classes